फर्द अहकाम
(नियम 26)

2020/00230

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट
अरूणा कुमारी पुत्री स्व. श्री हरिसिंह
जाति राजपूत
निवासी कृष्णपुरी सिरोही
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005**

मुकदमा नं. 32 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
1[illegible].08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 08.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय नई दिल्ली से 25.02.2019 को लौटाये गये शीर्षक सत्यापन आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 08.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय नई दिल्ली से 25.02.2019 को लौटाये गये शीर्षक सत्यापन आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	265-66 13/8/20

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:48:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner